

CHAS MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्मती कर की सूचना।

Memo No. : 1018649160424025208

Date : 16-04-2024

प्रभावी : तृतीय तिमाही 2023-2024

श्री/श्रीमती/सुश्री RAJESH KUMAR CHOWDHARY S/O BHIKHAM CHOWDHARY,
मोहल्ला GANDHAJOR CHAS CHAS
BOKARO, 827013
7488123056

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं- 0040000961000M0 वार्ड सं- 4 हुआ है, आपके स्व- निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु- निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	133.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	विजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		133.00



To be signed by the Applicant

नोट-

1. कर निर्धारण की सूची, CHAS MUNICIPAL CORPORATION Website, pudra.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडीका 11.4 के अंतर्गत में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जाएगा जो सम्मति कर का 50% होगा। डिस्ट्रिक्ट टी जस्टिस है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पावे।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्मति कर का भुगतान वैसासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण वृत्ति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रिबायट दी जाएगी।
5. किसी देय वृत्ति को निर्दिष्ट समयवधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. पत्र कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच तथा सम्मति निगम करा सकती है एवं तथा मालत चार्ज करने पर विचनावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित साक्षि (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. CHAS MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संगठित इस सम्मति कर इन टनरज/टांचो को कोई कन्वैनी हैशियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / टनरकर को कोई कन्वैनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होस्टिंग नं.ओ का जाखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print

14